बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए हाईब्रिड लोक अदालत 17 को

बिजली चोरी मामलों का तत्काल निपटारा होगा

नई दिल्लीः 14 जनवरी। बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए एक स्पेशल हाईब्रिड लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में पूर्वी और मध्य दिल्ली के उपभोक्ताओं के बिजली चोरी संबंधी मामलों का तत्काल निपटारा किया जाएगा। बिजली की सीधी चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली चोरी–– दोनों तरह के मामलों का यहां निपटारा किया जाएगा। ऐसे मामले जो किसी अदालत/ फोरम में लंबित हैं, उनका भी निपटारा यहां होगा, और उन मामलों का भी, जिन्हें अब तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है।

यह एक हाईब्रिड लोक अदालत है। आम नजरिये से देखें, तो यह एक आनलाइन लोक अदालत मालूम पड़ती है, लेकिन इसमें हिस्सा लेने के लिए किसी फोन/ कंप्यूटर या लॉगइन–पासवर्ड की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता 17 तारीख को अपने इलाके के बीवाईपीएल सर्कल ऑफिस में पहुंच कर, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक अदालत में हिस्सा ले सकते हैं, और अपने बिजली चोरी मामलों का तत्काल निपटारा करवा सकते हैं। लेकिन, इसके लिए, उपभोक्ताओं को अपने बीवाईपीएल डिविजन के कस्टमर केयर सेंटर पर पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से इस लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अदालत में अन्य के साथ–साथ माननीय जज भी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे और मामलों की सुनवाई करेंगे। लोक अदालत सुबह 10 बजे से दोपहरबाद 3 बजे तक चलेगी। लोक अदालत बीवाईपीएल उपभोक्ताओं व याचिकाकर्ताओं को एक अवसर मुहैया कराएगी, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल व परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके।

मामले के निपटारे के बाद उपभोक्ताओं के पास सेटल्ड रकम का ऑनलाइन व ऑफलाइन भुगतान करने का विकल्प होगा। बकाया रकम का भुगतान करने के बाद उपभोकता तुरंत नए कनेक्शन/ री–कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। वैसे, सेटल्ड रकम का भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को पर्याप्त समय दिया जाएगा।

जो उपभोक्ता लोक अदालत में बिजली चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं, वे खुद या अपने वकील/ अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से स्पेशल हाईब्रिड लोक अदानत में शामिल हो सकते हैं। उन्हें उनका आईडी प्रूफ और बिजली चोरी वाले बिल की कॉपी भी साथ में रखनी होगी। वकीलों और अधिकृत प्रतिनिधियों को अपने क्लाइंट या उपभोक्ता की ओर से एक अथॉराइजेशन लेटर जमा कराना होगा।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, ऐसे विशेष आयोजनों से बिजली चोरी मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलती है। यह आयोजन सभी के लिए फायदेमंद है। उपभोक्ताओं के लिए यह अवसर होगा कि वे आपसी सहमति से अपने मामले का निपटारा कर सकेंगे और साथ ही लंबी व खर्चीली कानूनी प्रकिया से उन्हें नहीं गुजरना होगा। न्यायपालिका पर पहले ही काम का अत्यधिक बोझ है और ऐसे में उम्मीद है कि ऑनलाइन लोक अदालत से उनके कोर्ट्स पर काम का दबाव कुछ कम होगा। और बीएसईएस के लिए फायदा यह है कि उसके बिलिंग नेट में ज्यादा लोग आएंगे, जिससे बिजली की चोरी कम होगी।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।